

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 7/2017-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 679 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, माल की पूर्ति पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट हैं, के अधीन आने वाले, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 के अधीन उन पर उद्बहणीय संपूर्ण केंद्रीय कर से छूट प्रदान करती है।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल की पूर्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	कोई अध्याय	सीएसडी द्वारा यूनिट रन कैंटीन को माल की पूर्ति।
2.	कोई अध्याय	सीएसडी द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति।
3.	कोई अध्याय	यूनिट रन कैंटीन द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति।

स्पष्टीकरण—

- (5) इस अधिसूचना में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
- (6) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 7/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 679 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts, supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), from the whole of the central tax leviable thereon under section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), namely:—

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of supply of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	Any chapter	The supply of goods by the CSD to the Unit Run Canteens
2.	Any chapter	The supply of goods by the CSD to the authorized customers
3.	Any chapter	The supply of goods by the Unit Run Canteens to the authorized customers

Explanation. –

- (1) In this notification, “tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 8/2017-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 680(अ)—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, माल या सेवाओं या दोनों की, राज्य के भीतर पूर्ति को उक्त केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्गृहणीय केंद्रीय कर से छूट प्रदान करती है :

परंतु उक्त छूट वहां लागू नहीं होगी, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का समग्र मूल्य, ऐसे किसी या सभी पूर्तिकारों से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है या नहीं हैं, एक दिन में पांच हजार रुपए से अधिक है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 8/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 680(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods or services or both received by a registered person from any supplier, who is not registered, from the whole of the central tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017):

Provided that the said exemption shall not be applicable where the aggregate value of such supplies of goods or service or both received by a registered person from any or all the suppliers, who is or are not registered, exceeds five thousand rupees in a day.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.